UPFR060105842023

न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)सिटी,फर्रूखाबाद।

पीठासीन–शाम्भवी – II ––––उ०प्र० न्यायिक सेवा। (J.O. Code No. UP3251)

प्रकीर्ण वाद संख्या –59/74/23

कृष्ण मोहन लाल प्रति राममोहन

09–12–2023

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी। प्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थनापत्र 5c2 मय शपथ पत्र 6c2 पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी के वाद में दिनांक 14.12.2022 सुनवाई हेतु नियत थी। प्रार्थी/पुर्नस्थापनकर्ता की तबियत खराब हो जाने के कारण प्रार्थी उक्त नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो सका। जिस कारण प्रार्थी का उक्त मुकदमा श्रीमान जी द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रार्थी ने दिनांक 05.05.23 को न्यायालय आकर उक्त पत्रावली के सम्बंध में जानकारी प्राप्त की तब प्रार्थी को उक्त मुकदमा खारिज होने की जानकारी हुयी। प्रार्थी अपना मुकदमा चलाना चाहता है। निवेदन किया है कि प्रश्नगत प्रकीर्ण वाद में पारित आदेश दिनांक 14.12.2022 को निरस्त कर पत्रावली मूल नम्बर पर लाकर वाद का निस्तारण गुण दोष पर किया जाये।

सुना एवं पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम कागज सं० 3C2 दिनांक 07.12.2023 को स्वीकार किया जा चुका है तथा जो कारण प्रार्थी ने दर्शित किया है उसका समर्थन शपथ पत्र से किया गया है। अतएव प्रकरण के गुण दोष पर निस्तारित करने हेतु न्याय हित में प्रकीर्ण वाद सं० 94/70/2017 कृष्ण मोहन प्रति राम मोहन में पारित आदेश दिनांक 14.12.2022 को अपास्त किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थी/वादी का प्रार्थनापत्र 5c2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 5c2 स्वीकार किया जाता है। प्रकीर्ण वाद सं० 94/70/2017 कृष्ण मोहन प्रति राम मोहन में पारित आदेश दिनांक 14.12.2022 अपास्त किया जाता है। प्रकीर्ण वाद अपने मूल नम्बर पर कायम हो। वादी, प्रतिवादी पर समन/नोटिस तामीला हेतु उपक्रम उभय प्रकार से अन्दर सात दिन हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 20–01–2024 को पेश हो।

(शाम्भवी – II)
सिविल जज,जू०डि०सिटी,
फर्रूखाबाद।

Digitally signed by SHAMBHAVI
Date: 2023.12.09 11:37:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court